बिहार विधान सभा सचिवालय
विज्ञापन संख्या–01/2019
आवश्यक सूचना

1. विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के रिक्त 23 पदों पर भर्त्ती हेतु आयोजित आशुलिपि की परीक्षा में मात्र 4 अभ्यर्थियों ने निर्धारित मापदंड को पूरा किया।
2. ऐसी स्थिति में विज्ञापन में वर्णित आशुलिपि की गलती में अनुमान्य छूट की सीमा में 10% वृद्धि करते हुए अतिरिक्त 77 अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ आशुलिपि परीक्षा में सफल घोषित किया गया कि यदि वे टंकण परीक्षा में भी सफल होते हैं तो वे नियुक्ति के एक वर्ष के अंदर आशुलिपि के लिए वांछित शब्द प्रति मिनट की गति को प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि एवं निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी सम्पुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।
3. इस प्रकार सफल घोषित कुल 81 (4+77) अभ्यर्थियों में से कुल 79 अभ्यर्थी टंकण जांच परीक्षा में सम्मिलित हुए।
4. टंकण जाँच परीक्षाफल के अनुसार आशुलिपि की परीक्षा के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थी तथा सशर्त सफल घोषित अभ्यर्थियों में से 8 अभ्यर्थी अर्थात कुल 10 अभ्यर्थी टंकण जाँच परीक्षा में सफल हुए।
5. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदक के पद पर नियुक्ति के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि हरेक स्तर पर अर्हता में छूट देकर एक से अधिक शर्तों के अधीन नियुक्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए केवल एक शर्त्त के अधीन ही सफल होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रतिवेदक पद पर की जायेगी।
6. प्रतिवेदक के 23 रिक्त पदों के विरूद्ध आशुलिपि परीक्षा की मेधा के आधार पर आरक्षण कोटिवार 10 अभ्यर्थियों का चयन किया गया । वांछित अर्हता वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहने के कारण 13 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के विरूद्ध भर्त्ती हेतु उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत आयोजित आशुलिपि परीक्षा में सशर्त्त उत्तीर्ण शेष अभ्यर्थियों के पैनल से पुनर्परीक्षा आयोजित कर चयन करने का निर्णय लिया गया था। तत्संबंधी एक आवश्यक सूचना दिनांक 25.02.2020 को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ ही इस परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी।
7. इस अवधि में अभ्यर्थियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें उक्त पदों पर भर्त्ती हेतु नया विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया गया है । इन अभ्यावेदनों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा तथा वैसे अभ्यर्थी जिन्होने विज्ञापन संख्या–01/2019 के आलोक में उक्त पद हेतु आवेदन किया था, उनकी उम्र सीमा की गणना इस विज्ञापन में निर्धारित तिथि के आधार पर ही की जायेगी।

29.9.2020
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।